न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 44/2020

रामराज मीणा पुत्र श्री गोकुल राम मीणा ग्राम गोविन्दपुरा दलवासा ,थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 26-11-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टेर टोंक को दिनांक 23-9-2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी

1-मेरे द्वारा 23.07.2020 को राज. सम्पर्क पोर्टल पर की गयी शिकायत सं. 07200788268324 पर खसरा नं. 102 पर अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के सभी आदेशों, नियमों के दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति

2-प्रकरण सं. 07200788268324 पर रा. उ. प्रा. वि. गोविन्दपुरदा (दलवासा) के खेल मैदान के खसरा नं. 369 पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही के आदेशों, नियमों के दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति

3-रा.उ.प्रा.वि. गोविन्दपुरा (दलवासा) के संस्था प्रधान अपनी संस्था की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर अब तक किये गये कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

4-राज. सम्पर्क पोर्टल पर मेरे द्वारा 17.09.2020 को की गयी शिकायत सं. 09200788631895 पर अब तक की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही के आदेशों नियमों व दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकोष्ट कलक्ट्रेट टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकोष्ट कलक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 5981 दिनांक 24-11-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

करने हेतु आवेदक को पत्र कमांक 5510–12 दिनांक 6–10–2020 से सूचित किया गया था कि वह 8 प्रतियों से 16 रूपये लेखा शाखा कलक्ट्रेट टोकं में जमा करवाकर सूचना प्रापत करें किन्तु आवेदक ने राशि जमा नहीं करवाई है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया ओर न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकोष्ट कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner